राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 2746

दिनांकः 22.05.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 12977–78 दिनांक 30.04.2018 से पुलिस थाना गंगधार के अभियोग सं0 66 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मीणा पुत्र कैलाशचन्द्र जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी अदालत रोड, चौमेहला जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2018 को अब्दुल सलीम हैड कानि 208 मय हमराही जाप्ता सरकारी वाहन से थाने से गश्त इलाका थाना व अवैध कार्यो की रोकथाम हेतु थाने से रवाना होकर कस्बा चौमेहला पहुंचा। कस्बे मे बस स्टेण्ड झण्डा चौक कूण्डला रोड गश्त व चेकिंग करते हुए बरावली रोड पहुंचा जहा जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि अभी कुछ ही देर मे आलोट म0प्र0 तरफ से चिश्तीपुरा से बरावली बाई पास रोड से एक व्यक्ति धर्मेन्द्र कुमार मीणा निवासी चोमेहला का पैदल पैदल चौमेहला आने वाला है, जिसके पास एक अवैध पिस्टल है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से श्री अब्दुल सलीम हैड 208 मय हमराही जाप्ता के रवाना होकर चिश्तीपुरा जा रहा था कि रेल्वे पुलिया के नीचे एक व्यक्ति पैदल चौमेहला की तरफ आता नजर आया जो पुलिस जाप्ते व जीप सरकारी को देखकर एकदम पलट कर भागा व झाडियो मे छिपने लगा। जाप्ते की मदद से डिटेन कर पकडा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार मीणा पुत्र कैलाशचन्द्र जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी अदालत रोड, चौमेहला जिला झालावाड बताया। तलाशी लेने पर शरीर पर पहने पजामे की जेब से एक पिस्टल दस्तयाब हुई। अनुज्ञापत्र होना नही बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण संख्या 66 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया ।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्ध किये । जब्त शुदा अवैध देशी पिस्टल का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आर्मोरर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि देशी पिस्टल 7.65 एमएम लोहे की बनी हुई है। बैरल, हैमर, ट्रेगर पर निकल किया हुआ है। जिस पर किसी प्रकार के नंबर अंकित नही है। सभी पार्टस सही कार्यरत है। उक्त पिस्टल फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आती है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मीणा पुत्र कैलाशचन्द्र जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी अदालत रोड, चौमेहला जिला झालावाड के विरूद्ध धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार एचसी 370 व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी पिस्टल को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मीणा पुत्र कैलाशचन्द्र जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी अदालत रोड, चौमेहला जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालवाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Procecution Senction